उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-27/2021/2152/92-2-21-93एम/2019

लखनऊ:: दिनांक 09 अप्रैल, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पद पर कार्यरत रहने के दौरान विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी व जनपद हरदोई में कतिपय कार्यो हेतु आमंत्रित की गयी निविदाओं में की गयी अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-96/2020/309 प्र0स0/92-2-20-93एम/2019 दिनांक 24-07-2020 द्वारा श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति परिमण्डल-कानपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-07-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जॉच में अधिरोपित आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत एतदद्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1655/92-2-2020 -93एम/2019 दिनांक 08-10-2020 द्वारा श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ सम्प्रति परि0-कानपुर को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में सम्बद्ध किया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता (सम्प्रति निलम्बित) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति परि0-कानपुर जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-01-2021 को सेवानिवृत्त हो गये है के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-11/2021/134/92-2-21-93एम/2019 दिनांक 05-02-2021 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद -351ए में परिवर्तित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दि0 19-01-2021 द्वारा एक पक्षीय जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। एकपक्षीय जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये कुल 04 आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 28-01-2021 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री हुसैन का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो शासन में दिनांक 06-02-2021 को प्राप्त हुआ।

4- अपचारी अधिकारी, श्री एम0एम0 हुसैन के विरूद्ध अधिरोपित कुल 04 आरोप, अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के अभाव में उपलब्ध करायी गयी एकपक्षीय जॉच आख्या, जॉच आख्या में प्रमाणित बताये गये कुल 04 आरोपो के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आरोप संख्या-2 अपचारी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित नही होता है किन्तु आरोप संख्या-1, 3 एवं 4 आंशिक रूप से अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण

हेतु प्रमाणित पाया गया, परन्तु अपचारी अधिकारी, श्री एम0एम0 हुसैन के दिनांक 31-01-2021 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उन्हें किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने अवसर नही रह गया है। अतः शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-96/2020/309/प्र0स0/92-2-20-93एम/2019 दि0 24-07-2020 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे उनके दिनांक सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-11/2021/634/92-2-21-93एम/19 दिनांक 05-02-2021 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2021/1958/ 92-2-21-93एम/2019 दिनांक 03.03.2021 द्वारा दण्ड रहित समाप्त किया गया।

5- प्रश्नगत प्रकरण में श्री एम0एम0 हुसैन के निलम्बन अवधि दिनांक 08.10.2020 से दिनांक 31.01.2021 को सेवा में व्यतीत अवधि माने जाने अथवा न माने जाने के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2, खण्ड-2(4) के नियम-54(ख) में अंतर्निहित प्राविधानो के अनुसार श्री एम0एम0 हुसैन का पत्र दिनांक 16-03-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर जिसमें उनके द्वारा अन्यत्र कोई नौकरी व व्यवसाय आदि न किये जाने के संबंध में दिये गये प्रमाण पत्र व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त विचार करते हुये श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें वृहद/दीर्घ दण्ड न दिये जाने के दृष्टिगत उनके निलम्बन को औचित्यहीन पाते हुये निलम्बन अवधि दिनांक 08.10.2020 से दि0 31.01.2021 को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि में दिये गये जीवन निर्वाह भत्तो के अतिरिक्त अवशेष वेतन भत्तो का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-27/2021/2152(1)/92-2-2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।